

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास मुकाम कनवास

ब इजलास न्यायालय अम्बालाल मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट कनवास
जिला कोटा (राज.) मेगा लोक अदालत

बंशीलाल पुत्र पन्नालाल जाति गुर्जर निवासी देवली तहसील कनवास।

—वादी

बनाम

- 1 रामप्रताप पुत्र रामनाथ जाति गुर्जर निवासी ग्राम देवली तहसील कनवास।
2. भैरूलाल पुत्र रामनाथ जाति गुर्जर निवासी ग्राम देवली तहसील कनवास।
- 2 राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार कनवास जिला कोटा राज।

—प्रतिवादीगण

वाद विभाजन आराजी अन्तर्गत धारा 53, 54 आर टी एक्ट 1955

मुकदमा नं. 208/14 सन 2015 तारीख फैसला 02/06/2015 न्यायालय ब इजलास अम्बालाल मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट कनवास जिला कोटा यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू उपखण्ड अधिकारी कनवास ब हाजरी ब वादी स्वयं मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी गण एक लगायत तीन मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि दावा पक्षकारान के मध्य हुये राजीनामा अनुसार वाद स्वीकार कर तहसीलदार कनवास द्वारा प्रस्तुत खाता विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य ग्राम देवली पटवार हल्का देवली के राजस्व रेकार्ड में पृथक-पृथक खाता अंकित किया जावे।


खाता विभाजन का विवरण निम्न प्रकार है -

क्र. संख्या	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म जमीन	भू राजस्व		दिशा
					दर	राशि	
1	बंशीलाल पुत्र	103	0.01	गै0मु0बोरिंग	22	—	सम्पूर्ण
	पन्नालाल जाति	105	0.81	चाही तृतीय	22	17.82	उत्तर
	गुर्जर सा0देह	105	0.65	चाही तृतीय	22	14.30	दक्षिण
	खातेदार रहन एच	720	0.06	चाही तृतीय	22	1.32	सम्पूर्ण
	के जी बी शाखा	728	0.17	चाही तृतीय	22	3.74	सम्पूर्ण
	देवली	1073	0.42	चाही तृतीय	22	9.24	उत्तर
योग किता 06 कुल रकबा 2.12					46.42		
2	रामप्रताप, भैरूलाल	105	1.47	चाही तृतीय	22	32.34	मध्य
	पुत्र रामनाथ जाति	721	0.04	चाही तृतीय	22	0.88	उत्तर
	गुर्जर सा0देह	722	0.20	चाही तृतीय	22	4.40	सम्पूर्ण
	खातेदार रहन	1073	0.41	चाही तृतीय	22	9.02	दक्षिण
	यूबीआई शाखा दरा						
योग किता 04 रकबा 2.12 है0					46.64		
3	बंशीलाल पुत्र	104	0.01	गै0मु0चा	—	—	—
	पन्नालाल हिस्सा	721	0.01	चाही तृतीय	22	0.22	दक्षिण
	1/2 रामप्रताप जाति गुर्जर सा0देह खातेदार रहन यूबीआई शाखा दरा						

नीज ... X ...मुबलिंग X ...बाबत ... X ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... X ...फीसदी
सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... X ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 02 माह जून 2015 को जारी की गई।

मुहर



(अम्बालाल मीना R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	NIL		स्टाम्प वकालतनामा	NIL	
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक			मीजान		
मीजान					

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं।
दर्ज करना चाहिये।

मुहर



उपखण्ड अधिकारी
(अम्बालाल मीना R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास